कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001
ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– न.वि.न्या / नियमन / 2023–24 / 331 दिनांकः– 15/02/2024

प्रेषितीः–

1. नागरमल पुत्र मदनलाल जाति माली
   निवासी विकास कॉलानी पिपराली रोड़ सीकर
2. सुनिता पत्नी नागरमल सैनी जाति माली
   निवासी वार्ड नं. 30 सीकर

विषयः– राजस्व ग्राम घोराणा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 1330 / 295 रकबा 0.6745 है. व नवीन खसरा नम्बर 1361 / 1331 रकबा 0.2252 है. अर्थात् कुल रकबा 8997.00 वर्गमीटर भूमि में रोयल सिटी आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम घोराणा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 1330 / 295 रकबा 0.6745 है. व नवीन खसरा नम्बर 1361 / 1331 रकबा 0.2252 है. अर्थात् कुल रकबा 8997.00 वर्गमीटर भूमि में रोयल सिटी आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 26, 27, 28, 29 व 30) भू–खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
10. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– योजना मानचित्र।

(जय कौशिक R.A.S.)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

ROYAL CITY RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO $\frac{1330}{295}$, $\frac{1361}{1331}$
REVENUE VILL. -GHORANA, KUDLI, DIST. SIKAR (RAJ.
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- 1. SUNITA DEVI W/o NAGARMAL SAINI
2- NAGARMAL S/o MADAN LAL

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

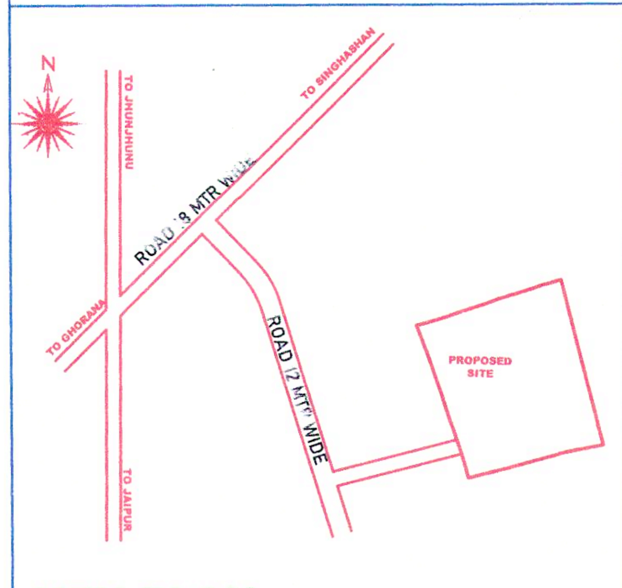

KEY-PLAN
Not To Scale

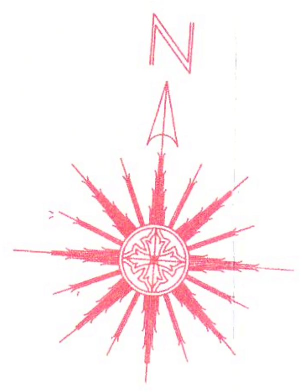

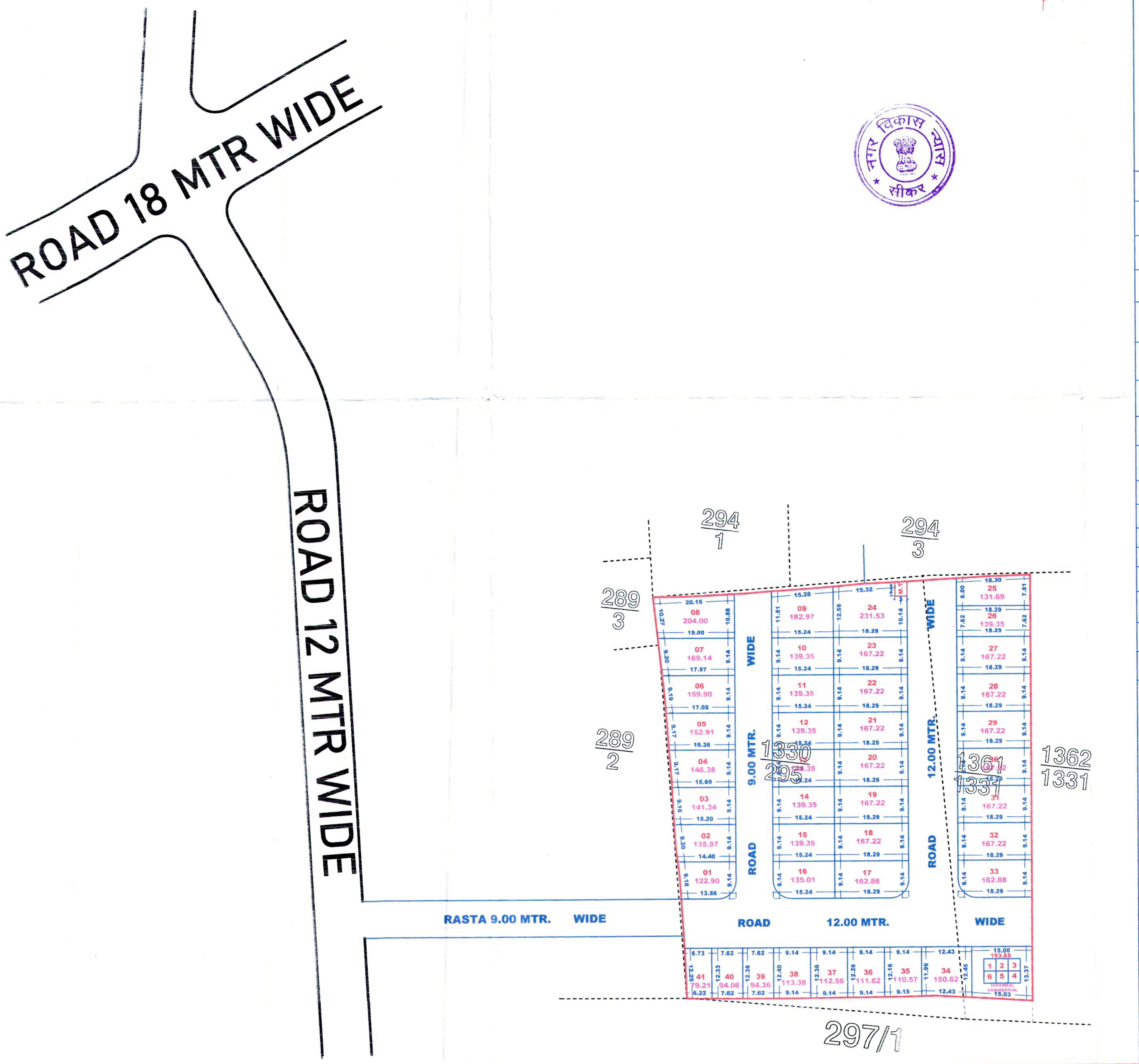

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	6087.90	67.64%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0193.68	02.12%
3.	MOBILE TOWER	0010.52	00.15%
4.	ROAD	2704.90	30.09 %
	TOTAL	8997.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOTS	~~42~~ 41
3.	INFORMAL COMMERCIAL	6
4.	MOBILE TOWER	1

- - - - - -	SCHEME BOUNDARY
- - - - - -	KHASRA LINE
———	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =20.0 MTR

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास सीकर

GOOGLE MAP

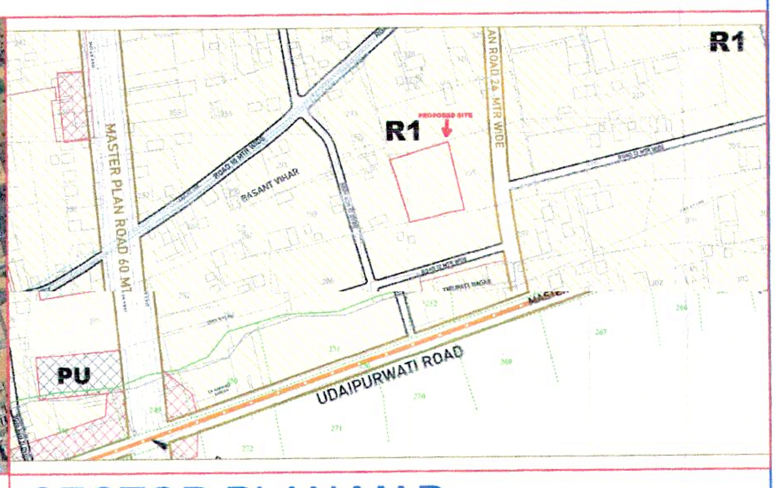

SECTOR PLAN MAP

योजना का नाम Royal City Residential Scheme का ले–आउट आज दिनांक 12/2/24 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

इस ले आउट प्लान में योजना सीमा से प्रदर्शित क्षेत्र का राजस्व नक्शा से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है।
03/02/24

उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर 12/02/2024	12/2/24	सचिव नगर विकास न्यास, सीकर	TOTAL AREA IN KH NO. 1330/295= 6745.00 SQ. MTR APPLIED AREA IN KH NO. 1361/1331=2252.00 SQ. MTR TOTAL APPLIED AREA = 8997.00 SQ. MTR

JK CONSULTANCY
1st Floor, Sangam Tower,
Opp. jaat boarding, Sikar
9928338794, 7891067650